राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी(माडा), जिला परिषद जयपुर

E-Mail Id:- madajaipur@gmail.com Ph. 0141-2207970

क्रमांक :जिपज/माडा/शिक्षा/स्कूटी वितरण/2017–18/ 1833 दिनांक :– 2/8/2017

विज्ञप्ति

जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति प्रतिभावान छात्राओं को माडा एवं बिखरी जनजाति क्षैत्र में संचालित राजकीय विद्यालय में अध्यनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं अथवा 12 वीं परीक्षा में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण कर आगे सामान्य शिक्षा में नियमित अध्यनरत रहने पर निःशुल्क स्कूटी वितरण की जाती हैं तथा जिस छात्रा ने कक्षा 10 वीं में स्कूटी प्राप्त कर ली है एवं कक्षा 12 वीं में भी राजकीय विद्यालय में नियमित अध्यनरत रहकर 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो तो उसे स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में राशि रू 20,000/– तथा स्नातक के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः राशि रू 10,000/–, 10,000/– नकद सहायता राशि दी जाती है।

उक्त योजनान्तर्गत जयपुर जिलें के माडा एवं बिखरी जनजाति क्षैत्र में संचालित राजकीय विद्यालयों से शैक्षणिक सत्र 2016–17 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं अथवा 12 वीं परीक्षा में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण कर आगे सामान्य शिक्षा में नियमित अध्यनरत जनजाति छात्राओं के निःशुल्क स्कूटी वितरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त योजनान्तर्गत पात्र जनजाति छात्राओं के द्वारा आवेदन पत्र वर्तमान अध्यनरत शैक्षणिक संस्था में दिनांक 10.08.2017 तक जमा करवाये जाने हैं तथा संस्था द्वारा प्राप्त कर आवेदन पत्रों की जॉच उपरान्त प्रधानाचार्य/प्राचार्य के माध्यम से दिनांक 18.08.2017 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हैं। योजना से जनजाति छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु योजनाओं का विवरण, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के सम्बंध में विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. स.	कार्यक्रम का नाम	पात्रता का विवरण	आवश्यक दस्तावेज
1	जनजाति प्रतिभावना छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना	जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–17 में राजस्थान राज्य से राजकीय विद्यालय में अध्नरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं अथवा 12 वीं परीक्षा में प्रथम बार 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त कर आगे सामान्य शिक्षा में निरन्तर अध्यनरत रहती है, को विभाग द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरण की जाती है तथा जिस छात्रा ने कक्षा 10 वीं में स्कूटी प्राप्त कर ली है एवं कक्षा 12 वीं में भी राजकीय विद्यालय में नियमित अध्यनरत रहकर 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो तो उसे स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में राशि रू 20,000/– तथा स्नातक के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः राशि रू 10,000/–, 10,000/– नकद सहायता राशि प्रदान की जाती है।	1. राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जनजाति होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति 2. मूल आय घोषणा पत्र/ आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण 3. कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की मूल अंकतालिका की प्रमाणित प्रति 4. आगे सामान्य शिक्षा में नियमित अध्यनरत रहने का प्रमाण 5. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति 6. कक्षा 10वीं में स्कूटी प्राप्त करने पर 12वीं कक्षा में पुनः 65% या अधिक अंको से उत्तीर्ण छात्राओं के बैंक खाते के पासबुक की फोटो प्रति

आवेदन पत्र मय विवरण www.jaipur.rajasthan.gov.in वेब साइट पर उपलब्ध है।

नोटः–

1. आवेदन पत्र वर्तमान अध्यनरत सम्बंधित शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगें।
2. आवेदन पत्र पूर्ण एवं सूस्पष्ट भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने, आवेदन पत्रों में पात्रता एवं दस्तावेज कमी होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगा, जिसके लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
3. पात्र अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 10.08.2017 तक वर्तमान नियमित अध्यनरत सम्बंधित शैक्षणिक संस्थान में जमा करवाये जावेंगें तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त आवेदन मय दस्तावेजों की जॉच कर योग्य एवं सही आवेदन पत्रों मय सूची दिनांक 18.08.2017 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जावेंगें। सीधे एवं दिनांक 18.08.2017 पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, जयपुर

क्रमांक :जिपज/माडा/शिक्षा/स्कूटी वितरण/2017–18/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला जयपुर।
2. प्रधानाचार्य/प्राचार्य सम्बंधित शैक्षणिक संस्थान, जिला जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, जयपुर